

प्रति,

अपील

10110

DCP	
Addl. DCP-I	
Addl. DCP-II	
ACP/HQ	
Insp./Admn.	<i>[Signature]</i>
RTI	

No. 350/Appeal/RTI/110053/10110/12
06/01/12

श्री मान उपायुक्त दिल्ली पुलिस (उत्तर, पूर्वी) जिला

186/12
06/01/12

दिल्ली पुलिस

नजदीक मलाई औबर मौलम पुर दिल्ली-110053

विषय - अपील RTI दिनांक 28.8.2014

श्री मान जी
 जैसा कि विदित है मेरे द्वारा लगाई गई RTI दिनांक 28.8.14 के संदेश में आगे गई सूचना के संदेश में जब सूचना अधिकारी, एम ऑरिजनल उपायुक्त पुलिस उत्तर पूर्वी जिला कम के पत्र संख्या नं. 4808/RTI सेल / उत्तर-पूर्वी जिला दिनांक दिल्ली 21.9.2014 (बाकी संलग्न) के द्वारा दे गई सूचना में मैं शीघ्र जित्तु शर्मा c/o राजेश श्रीवास्तव 182 वी नगर आराम नई दिल्ली-14 जो कि उपरोक्त पत्र द्वारा सहमत नहीं है।

जैसा कि विदित है कि अनुसार सिपाही जय भगवान चौहान जो कि पुलिस थाना सीवया विहार में डैनाल है मे संके सम्बन्धित जिसका कि माह मई, जून-2014 का दुर्घियों से सम्बन्धित रिपोर्ट कि मांग की गई थी, जिसमें कि ऑरिजनल उपायुक्त पुलिस उत्तर-पूर्वी जिला देह दिल्ली जो कि योग्य सूचना जो कि कसली-कम को हित इस जॉय उपरोक्त कम सूचना से सहमत नहीं है।
 जैसा कि विदित है उपरोक्त सिपाही जय भगवान चौहान द्वारा मेरे पाता पिता कि जायजात / एलाट / प्रमाण नं. पुराना नं. D-222/2 गाली नं. 13-14 मंगलपुरा दिल्ली-110053 पर एडवा कर रकरवा है जिसका कि मुमदमा श्री कृष्ण शर्मा जिला जज की अदालत का नं. 70 के विचार चीन है। जिसमें कि कसली सुनवाई दिनांक सीविल सुट नं. 109/2014 दिनांक 2.6.2014 के संदर्भ में
 cont-...

जैसा कि जवाब ना देकर विभाज्य 24.8.2017 को जवाब दिया गया जिसमें कि उपरोक्त जय भगवान चौधन द्वारा जेदा उपरोक्त से सम्बन्धित लिखण्ड उत्तर दिया गया कि मैरी पत्नी जी कपीयाल खराब होने के कारण उपरोक्त समय (मई-जून-2017) पर जैसा उपरोक्त का जवाब आकाशत को देने में असमर्थ रहा।

उतः श्रीमान को से अनुरोध करता हूँ कि जैसा श्री जय भगवान चौधन सिपाही द्वारा आकाशत को जवाब दिया गया (उपरोक्त के अनुसरण प्रायों द्वारा उपरोक्त श्री जय भगवान चौधन सिपाही का मई-जून-2017 का बहुरीयों का रिक्वर्ड को भोग को गई थी, जो कि आतिरेकत उपायुक्त (दिल्ली पुलिस) उत्तर-पूर्वी जिला द्वारा रिक्वर्ड देने में असमर्थता जताई गई।

उतः श्रीमान को से अनुरोध है कि प्रायों कि अनुरोध उपरोक्त पर महामुखी विचार करते हुए श्री जय भगवान चौधन सिपाही का मई-जून-2017 का बहुरीयों बहुरीयों का रिक्वर्ड विवेक जामे का लखर करे।

संबन्ध - उपरोक्त

चन्द्रगणेश शर्मा

प्रायों



(जितेंद्र शर्मा)

१/० श्री मैथिल चन्द्र शर्मा

८/० श्री जितेंद्र श्री शर्मा

188, हरि नगर इलाहाबाद दिल्ली-14

दिनांक - 3/9/2017

DEPOL/R/2017/22724

**OFFICE OF THE PUBLIC INFORMATION OFFICER, NORTH EAST DISTRICT,
SEELAM PUR: DELHI-110053 (Ph. No. 22829388).**

No. 1508 /RTI Cell/North-East District Dated Delhi, the 30/08 /2017.
To

Sh. Jitender Sharma
Through Sh. Rajender Kaushik
182, Hari Nagar Ashram,
New Delhi-110014.

Subject:- Seeking information under RTI Act – 2005.


Memo

In response to your application dated 28.08.17 received in this office vide RTI No. 2509/17, dated 30.08.17 on the subject cited above. It is to inform you that the requisite information as asked under RTI and as per reply received from SHO/Sonia Vihar/NED, the point wise information is as under:-

1. As per report of SHO/Sonia Vihar/NED, the requisite information/document related to Ct. Jai Bhagwan posted in P.S. Sonia Vihar can not be provided in view of section 8 (1) (j) of RTI Act-2005.

Your present RTI application is hereby disposed off.

You can file an appeal within 30 days if you have not satisfied with the above reply to the 1st Appellate Authority under RTI Act-2005 before the Dy. Commissioner of Police/North East District, Seelam Pur, Delhi-110053.


(RAJENDRA PRASAD MEENA)IPS
PUBLIC INFORMATION OFFICER-CUM-
ADDL.DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
NORTH-EAST DISTT. DELHI